24/3/25	अतः एक उक्त विवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। वाद पत्रावली स्वीकार कर निर्णित अलग से शामिल किया दर्ज की जाती है। नियम से क्या हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2025/12

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.24 16:53:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण नं. 11/2025 दायरा दिनांक 07.01.2025

गुडडी देवी पत्नी श्री लिछमनराम जाति जाट निवासी सिंगरासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

– वादीया

बनाम

1. विद्या कंवर पत्नी जीराज सिंह (फौत) जरिये वारिसान :–
   - 1/1 बख्तावरसिंह
   - 1/2 रतनसिंह
   - 1/3 मोहनसिंह
   - 1/4 चुन्नीसिंह

   } पुत्रगण जीराज सिंह अकवाम राजपूत निवासीयान लधेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. हनुमान पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी साबनिया तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर राज.।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ भूमिधारी।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 आर.टी.ए.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपस्थित :–

1. श्री कैलाश पारीक एडवोकेट – वादीया
2. श्री संजीव कालिया एडवोकेट – प्रतिवादी नं. 2
3. पेरोकार राज नायब तहसीलदार – प्रतिवादी नं 3

–:: निर्णय ::– **दिनांक :–** 24.03.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादीया ने यह दावा पेशकर निवेदन किया कि तहसील सूरतगढ़ के ग्राम लधेर की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता संख्या 30/1764 के खसरा नं. 166 की 3.161 हैक. बारानी दोयम व खसरा नं. 393 की 7.208 हैक. बारानी दोयम कुल 10.369 हैक. बारानी दोयम में वादीया का 3.161 हैक. बारानी दोयम भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का आपस में घरु बंटवारा किया हुआ है जो वादीया को घरु बंटवारा में ग्राम लधेर के खसरा नं. 166 की 3.161 हैक. बारानी दोयम भूमि दी हुई है जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.24 16:53:15 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादीया का कब्जा काश्त बदस्तुर चला आ रहा है। वादीया ने घरु बंटवारा में प्राप्त रकबा को सुधार कर काबिल काश्त किया है, तथा अपने कब्जा काश्त के रकबा का प्रतिवादीगण से खाता अलग करवाने की कानूनी अधिकारी है। ताकि वादीया को फसली ऋण, रकम मालकाना जमा करवाने में कोई दिक्कत ना हो वह वादीया की भूमि स्पष्ट नक्शा में अंकित हो सके। इसलिए वादीया अपने कब्जा काश्त व घरु बंटवारा में प्राप्त रकबा का प्रतिवादीगण से अलग खाता विभाजन करवाना चाहती है। इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

दावा पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.05.2024 की पालना में पत्रांक 2012 दिनांक 03.09.2024 तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अभिलेखागार सूरतगढ़ से यह पत्रावली प्राप्त पर पेशी में ली गई। दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बहस विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.01.2025 को पेश हो। दिनांक 17.02.2025 को विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई।

अधिवक्तागण की बहस सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो व तहसीलदार राजस्व की मौका रिर्पोट (विभाजन प्रस्ताव) के आधार पर वादीया का कब्जा काश्त रोही लधेर के खसरा नं. 166 की 3.161 हैक. बारानी दोयम भूमि पर होना पाया गया। इसलिए वादीया का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार रोही लधेर के खसरा नं. 166 की 3.161 हैक. बारानी दोयम भूमि को प्रतिवादीगण अलग खाता विभाजन जारी करना उचित समझते है।

अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 75/2019 अनवान गुडडी देवी बनाम बख्तावरसिंह निर्णय दिनांक 30.05.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव आने पर रोही लधेर के खसरा नं. 166 की 3.161 हैक. बारानी दोयम भूमि को प्रतिवादीगण से खाता अलग किया जावे व इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.24 16:53:15 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
एंव सहायक जिलाधीश
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

–: डिक्री ब मुक्द्दम इख्तदाई :–

(ओ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़

बइजलास – सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

गुडडी देवी पत्नी श्री लिछमनराम जाति जाट निवासी सिंगरासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

– वादीया

बनाम

1. विद्या कंवर पत्नी जीराज सिंह (फौत) जरिये वारिसान :–
   1/1 बख्तावरसिंह
   1/2 रतनसिंह
   1/3 मोहनसिंह
   1/4 चुन्नीसिंह
   } पुत्रगण जीराज सिंह अकवाम राजपूत निवासीयान लधेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. हनुमान पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी साबनिया तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर राज.।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ भूमिधारी।

– प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 आरटीए मुकदमा नं. 11/2025 यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादीया श्री कैलाश पारीक एडवोकेट व प्रतिवादी नं. 2 की और से श्री संजीव कालिया एडवोकेट पेश होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 75/2019 अनवान गुडडी देवी बनाम बख्तावरसिंह निर्णय दिनांक 30.05.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव आने पर रोही लधेर के खसरा नं. 166 की 3.161 हैक. बारानी दोयम भूमि को प्रतिवादीगण से खाता अलग किया जावे व इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज ....x........... मुबलिग ....x........... बाबत् ....x........... खर्चा इस मुकदमें मय शूद्व बशरह ....x........... कस्दो की पालना ....x...........आज कि तारीख से तारीख बसूलया वो ताकी अदा करे

बसिब्त मेंरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 24/03/25 को जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.24 16:53:15 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।